अनुमोदन हेतु प्रारूप

पत्रांक–

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक ....2386.......... ग्रा.वि.,पटना   दिनांक– 26/5/05

ग्रा.वि.–7 / ई.आ.यो.(मा.नि.)–06 / 2004

प्रेषक,

के.ए.एच.सुब्रमणियन,

मुख्य सचिव ।

सेवा मे,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः– इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के कंडिका 4.4.1 मे संशोधन के आलोक मे आपदा प्रभावित परिवारो को यथाशीघ्र इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने के संबंध मे ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय मे कहना है कि आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका की कंडिका 4.4.1 मे निहित प्रावधान के अनुसार प्राकृतिक आपदा तथा आकस्मिक परिस्थिति यथा दंगा, खून–खराबा, आगजनी आदि जैसे परिस्थिति विशेष से प्रभावित परिवारो को पुर्नवासित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के स्तर पर इंदिरा आवास योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य का 5 प्रतिशत निधि कर्णांकित रहता है । इस कर्णांकित निधि से राशि की विमुक्ति प्रत्येक जिला को 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये की सीमा तक जिला से प्राप्त प्रस्ताव विभागीय अनुशंसा के साथ भारत सरकार को प्रेषित किये जाने पर किया जाता था तथा भारत सरकार से राशि की विमुक्ति के पश्चात् देय अनुपातिक राज्यांश की विमुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती थी ।

उपरोक्त जटिल प्रक्रिया को देखते हुये तथा प्रभावित परिवारों को तुरत राहत पहुँचाने के उद्देश्य से भारत सरकार के पत्रांक–एच.–11011 / 6 / 2004–आर.एच.(पी.) दिनांक–15.04.2005 (प्रति संलग्न) द्वारा मार्गदर्शिका की कंडिका 4.4.1 मे संशोधन करते हुये जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है कि जिला स्तर पर इंदिरा आवास योजना (केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित) अथवा अन्य स्रोत की उपलब्ध राशि से ऐसे पीडित परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण कराकर उन्हे पुर्नवासित करें । इस निमित

77

(55)

लाभान्वितों के लिए अन्य शर्तें इन्दिरा आवास योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार पूर्ववत रहेगी । इस मद में जो राशि व्यय होगी उसकी प्रतिपूर्ति के लिये जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पूर्व निर्धारित सूचनाओं सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किये जायेंगे तथा भारत सरकार द्वारा उस राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

भारत सरकार द्वारा किये गये उक्त संशोधन से स्पष्ट है कि पीड़ित परिवारों को तत्काल ही पुनर्वासित करने के दृष्टिकोण को देखते हुये संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है । अतः इस संबंध में आपके स्तर से पूरे संवेदनशीलता के साथ इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता है ।

अतः आप इस दिशा में पूरी तत्परता के साथ ध्यान दें तथा पीड़ित परिवारों को तत्काल ही राहत देने के लिये उनके क्षतिग्रस्त आवासों का निर्माण कराकर उन्हें पुनर्वासित करें तथा राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित करते हुये उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करावें ताकि विभाग स्तर से भी उसका अनुश्रवण हो सके ।

विश्वासभाजन

9-45

मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 9886 दिनांक– 26/5/05

प्रतिलिपि–(अनुलग्नक सहित) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव